

30 9/19

पत्रावली फेस (वकील पत्रकार उपस्थित थी वकील अंतर्गत द्वारा इकट्ठा किया जाय फेस किम्व कोप रिगार्ड गई। सामान्य फावली ही वकील उमयपक्ष को सुना गया। अतिवादीगण को वाद वारी स्वीकार करने में आपत्ति नहीं थी।

© Sheer

अंकि अतिवादीगण द्वारा वादी के द्वारा वंचित अनुलोप को स्वीकार कर दिया गया है, इस कारण अंतर्गत में पत्रकारान के मध्य विवादात्मक बिन्दुओं का अन्तान हो गया है।

पत्रकारान वारी को वंचित अनुलोप देने पर एकात्म थी

30/9/19

तारीख
हुकम

बाद बहस फावती का आधोपाल
अवगतन किया गया। वादी के वादपत्र
के लक्ष्य, वंचित अनुलोष एवं प्रतिक
के प्रभाव व साथ ही साथ वादी द्वारा
वादपत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों पर
सम्बन्ध मन्त किया गया।

वादी अपना सही नाम किरानगोपाल
रौना अवगत कराता है इस क्रम में
नरक जमाबंदी ग्राम बौरीना 2073-76 खाल
नं. 107. भात विचन आयोग द्वारा जारी
पत्थन फ. क्र. R3/19/115/177701 जारी
दि. 25.4.17 विधान सभा सेवक रामनेमठरी,
आधार कार्ड नं. 200215224866 राष्ट्रीय
व्याप्य मिशन योजना कार्ड नं. 0830,
0505, 2130, 0043) C.B.I. बैंक पास
बुक खाता नं. 2082294248 की प्रती,
कोई पत्थन मतदाता पत्र विधान सभा
रा. मठरी 2018, याग सं 78 मतदाता नं.
2 की प्रती. आदि पेय की गई है।

उक्त दस्तावेजों में वादी का
नाम किरान गोपाल दर्ज है जबकि
जमाबंदी में वादी का नाम मास
गोपाल अंकित है।

अतः राज्य सरकार वाद
वादी अंशों लीकार किया जाकर

20/11/14

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए |
|---------------|--|---|
| | <p>आदेश दिने जाते हैं कि ग्राम बोराना की ग्रामि खत नं० 25, 28, 31, 32, 319, 409 पर बादी का नाम गोपाल के स्थान पर मिशन गोपाल उर्फ गोपाल पुत्र देविया उर्फ देवीलाल दर्ज किया जावे। तदनुसार डिफ़ी मुक्तिव ला निर्देश आज दिनांक 30/09/2019 को सेट होना लिखाया जाऊ विद्यन्त मसामामम र्भ पुनाम</p> | <p>30/09/19 (निमित्तपत्र मीन) R.A.S.</p> |

